ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 12, Issue 2, March - April 2025

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.028

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 2, March- April 2025 |

भारतीय शासन व्यवस्था – गुण, दोष एवं प्रमुख चुनौतियाँ

शंकर दास

सहायक आचार्य – राजनीति विज्ञान
श्री डूंगरगढ़ महाविद्यालय, श्री डूंगरगढ़

सारांश

भारतीय शासन व्यवस्था एक जटिल, बहुस्तरीय और संवैधानिक रूप से संरचित प्रणाली है, जो देश के लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को निर्देशित करती है। यह शोध–पत्र भारतीय शासन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना, कार्यप्रणाली एवं उनकी पारस्परिक संबद्धता का गहन अध्ययन किया गया है। यह शोध भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली, संघीय ढांचे, विकेंद्रीकृत शासन (पंचायती राज और शहरी निकायों), न्यायिक स्वतंत्रता, नीति–निर्माण प्रक्रियाओं तथा सुशासन (Good Governance) से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। साथ ही, इसमें शासन व्यवस्था के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों, जैसेकृनौकरशाही में पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार, नीति क्रियान्वयन की समस्याएँ, न्यायिक देरी, और विधायी सुधारों की आवश्यकता का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। शोध–पत्र का उद्देश्य भारतीय शासन तंत्र की प्रभावशीलता और उत्तरदायित्व का आकलन करना है तथा यह समझना है कि वैश्वीकरण, डिजिटल इंडिया, और जनभागीदारी जैसी अवधारणाएँ इसे किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा, शोध में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों, न्यायिक निर्णयों, एवं हालिया नीतिगत परिवर्तनों के प्रभावों का भी मूल्यांकन किया गया है। अंततः, यह अध्ययन भारतीय शासन प्रणाली की उपलब्धियों और कमियों को उजागर करते हुए इसके सुधार हेतु संभावित उपायों पर सुझाव प्रस्तुत करता है। यह शोध न केवल प्रशासनिक एवं विधायी निकायों के लिए, बल्कि नीति–निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

मूल शब्द – भारतीय शासन व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नीति क्रियान्वयन की समस्याएँ

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 2, March- April 2025 |

प्रस्तावना :

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी शासन व्यवस्था विविधतापूर्ण और बहुस्तरीय है। भारतीय संविधान ने शासन के विभिन्न रूपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जिससे देश की प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक संरचना संचालित होती है। भारत में शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती हैं। इसके अलावा, पंचायती राज व्यवस्था और शहरी निकायों के माध्यम से स्थानीय शासन को भी सशक्त बनाया गया है। भारतीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसकी संघीय संरचना है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित सूची प्रणाली के आधार पर किया गया है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का संतुलित एवं स्वतंत्र संचालन इस प्रणाली की आधारशिला है। इसके अतिरिक्त, संविधान ने भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है, जिससे सामाजिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भारतीय शासन के प्रमुख रूपों में संसदीय लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, पंचायती राज प्रणाली, और प्रशासनिक तंत्र शामिल हैं। समय–समय पर विभिन्न संवैधानिक संशोधनों, नीतिगत परिवर्तनों और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से यह प्रणाली और अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाई गई है। वर्तमान में, डिजिटल युग में सुशासन (Good Governance) को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, ई–गवर्नेंस और पारदर्शिता संबंधी उपायों को अपनाया जा रहा है। अतः यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शासन व्यवस्था विविधतापूर्ण होते हुए भी एकीकृत एवं सशक्त है, जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूती प्रदान करती है।

उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध–पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है–

- भारतीय शासन व्यवस्था का विश्लेषण करना
- भारतीय शासन व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करना
- भारतीय शासन व्यवस्था के प्रमुख दोषों का विश्लेषण करना
- भारतीय शासन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना
- भारतीय शासन व्यवस्था के विकास में बाधा प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 2, March- April 2025 |

आंकड़ों के स्रोत एवं विधि–तंत्र :

प्रस्तुत शोध–पत्र मुख्यतया द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर आधारित है। इस हेतु आंकड़ों का संकलन विषय से संबन्धित प्रमुख प्रकाशित ग्रंथो, शोध–पत्रों एवं इस विषय में महत्त्वपूर्ण विद्वानों द्वारा रचित ग्रन्थों से किया गया है। शोध पत्र को और अधिक विश्लेषणात्मक बनाने हेतु विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों यथा गूगल स्कॉलर इत्यादि पर उपलब्ध विषय से संबधित आलेखों से भी सूचनाए एकत्रित की गयी है।

भारतीय शासन व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ :

भारतीय शासन व्यवस्था विश्व की सबसे व्यापक और संगठित प्रशासनिक प्रणालियों में से एक है, जो संवैधानिक सिद्धांतों, लोकतांत्रिक परंपराओं और संघीय ढांचे पर आधारित है। यह व्यवस्था न केवल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखती है, बल्कि विविधतापूर्ण समाज में सुशासन और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास भी करती है। भारत का संविधान, जो शासन व्यवस्था की आधारशिला है, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। भारतीय शासन व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इसे एक सुदृढ़, प्रभावी और न्यायसंगत प्रणाली के रूप में स्थापित करती हैं। इनमें संसदीय लोकतंत्र, संघीय संरचना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्त्व, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली (पंचायती राज और नगर निकाय) प्रमुख हैं। इन सभी विशेषताओं को विस्तारपूर्वक समझना आवश्यक है, जिससे भारतीय शासन तंत्र के स्वरूप, कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जा सके।

1. संसदीय लोकतंत्र – उत्तरदायी शासन प्रणाली–

भारतीय शासन प्रणाली को ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के आधार पर विकसित किया गया है। भारत में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति नाममात्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। लोकतंत्र की इस प्रणाली में सरकार को बहुमत प्राप्त होना आवश्यक होता है और यह सदन का विश्वास बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। यदि सरकार विश्वास खो देती है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद में बहस और संवाद के माध्यम से नीतियाँ बनाई जाती हैं, जिससे विधायी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनती है। संसद में विभिन्न दलों की भागीदारी एवं उनके द्वारा प्रस्तुत विचार लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य न केवल जनप्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाना है, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को शासन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना भी है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 2, March- April 2025 |

2. संघीय व्यवस्था – शक्ति का संतुलन–

संघीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है, जिसमें प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में ष्राज्यों का संघष कहा गया है, जो यह इंगित करता है कि देश की संरचना संघीय है, लेकिन इसकी एकात्मक विशेषताएँ भी हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण तीन सूचियों के माध्यम से किया गया है–

- **संघ सूची** – इसमें रक्षा, विदेश नीति, संचार, मुद्रा जैसी विषयवस्तुएँ आती हैं, जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
- **राज्य सूची** – इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कृषि जैसे विषय शामिल हैं, जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं।
- **समवर्ती सूची** – इसमें शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, श्रम कानून जैसे विषय आते हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

संघीय प्रणाली के अंतर्गत, यदि केंद्र और राज्य के बीच किसी विषय को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है, तो न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति–संतुलन बनाए रखना तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना है।

3. मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्त्व –नागरिकों की स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण–

भारतीय संविधान अपने नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं और शासन को तानाशाही प्रवृत्तियों से रोकते हैं। ये अधिकार हैं–

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18) – सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार।
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22) – अभिव्यक्ति, आंदोलन, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24) – जबरन श्रम और बाल श्रम पर प्रतिबंध।
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28) – किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29–30) – अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार।
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) – यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय में जाने का अधिकार।

साथ ही, संविधान में नीति निर्देशक तत्त्वों (क्च्ै) को शामिल किया गया है, जो राज्य को सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये तत्त्व समाजवाद, समानता और न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं।

4. स्वतंत्र न्यायपालिका –संवैधानिक संरक्षक–

भारतीय न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति होती है, जिसके माध्यम से वह यह तय कर सकती है कि कोई विधि या सरकारी आदेश संविधान के अनुरूप है या नहीं। संविधान ने न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा है, जिससे निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की त्रिस्तरीय प्रणाली न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है। न्यायपालिका का उद्देश्य न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, बल्कि विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना भी है, जिससे संविधान के मूल्यों की रक्षा हो सके।

5. विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली – पंचायती राज और नगर निकाय–

73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) के माध्यम से पंचायती राज और नगर निकायों को सशक्त किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया गया। इन संशोधनों ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति दी। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीन स्तरों पर कार्य करती हैं। वहीं, नगर निकायों में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद कार्यरत हैं। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना तथा नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाना है।

भारतीय शासन व्यवस्था के प्रमुख दोष :

भारतीय शासन व्यवस्था एक सुव्यवस्थित और संवैधानिक रूप से संरचित प्रणाली है, जो लोकतंत्र, न्याय और समता के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। हालाँकि, यह व्यवस्था विभिन्न उपलब्धियों के बावजूद कई चुनौतियों और कमियों का सामना कर रही है, जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन कमियों का प्रभाव न केवल प्रशासनिक दक्षता पर पड़ता है, बल्कि यह जनता के प्रति उत्तरदायित्व और सुशासन को भी प्रभावित करता है। भारतीय शासन प्रणाली के प्रमुख दोषों में (1) भ्रष्टाचार और नौकरशाही की जटिलता, (2) न्यायिक प्रणाली में देरी, (3) नीति क्रियान्वयन की कमजोरियाँ, (4) राजनैतिक अस्थिरता और दलगत राजनीति, तथा (5) केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच असंतुलन प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये कमियाँ न केवल प्रशासनिक क्षमता को प्रभावित करती हैं, बल्कि जनता का विश्वास भी कमजोर करती हैं। इन दोषों का विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि एक अधिक उत्तरदायी और प्रभावी शासन प्रणाली की दिशा में सुधार किया जा सके।

1. भ्रष्टाचार और नौकरशाही की जटिलता :

भारतीय शासन व्यवस्था का सबसे गंभीर दोष भ्रष्टाचार है, जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बाधित करता है और जनता की सेवा को प्रभावित करता है। नौकरशाही की जटिल संरचना और लालफीताशाही (Red Tapism) के कारण प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अत्यधिक धीमी हो जाती हैं, जिससे आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है। भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और न्यायिक स्तर पर भी व्याप्त है। कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम लाभार्थी तक नहीं पहुँचता, क्योंकि बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा संसाधनों की हेराफेरी कर दी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं की रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे शासन व्यवस्था की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

2. न्यायिक प्रणाली में देरी :

भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक प्रमुख कमजोरी मुकदमों के निपटारे में अत्यधिक देरी है। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है, जिससे न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। ''न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है'' – यह सिद्धांत भारतीय न्यायिक प्रणाली की स्थिति को स्पष्ट करता है।

इसके कई कारण हैं–

- न्यायाधीशों की कमी
- अदालती प्रक्रियाओं की जटिलता
- अनुचित अपील और मुकदमों की अधिकता
- डिजिटल और तकनीकी सुधारों की धीमी गति

इन कमियों के कारण कई गरीब और कमजोर वर्गों के नागरिक न्याय प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांत कमजोर पड़ते हैं।

3. नीति क्रियान्वयन की कमजोरियाँ :

भारत में नीतियाँ तो बहुत बनाई जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन अक्सर कमजोर और अपूर्ण रहता है। इसका मुख्य कारण है नीतियों और योजनाओं के बीच तालमेल की कमी, प्रशासनिक अक्षमता और राजनीतिक हस्तक्षेप। उदाहरण के लिए, कई कल्याणकारी योजनाएँ जैसे – मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ भारत अभियान आदि प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पातीं, क्योंकि सरकारी एजेंसियों और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी होती है। कई बार योजनाएँ सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं, और उनका जमीनी स्तर पर कोई ठोस प्रभाव नहीं दिखाई देता। नीति क्रियान्वयन की यह कमजोरी भारतीय शासन व्यवस्था की एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, जिससे सरकारी प्रयासों का पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुँच पाता।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 2, March- April 2025 |

4. राजनैतिक अस्थिरता और दलगत राजनीति :

भारतीय राजनीति में दलगत स्वार्थ और अस्थिरता भी शासन व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख दोषों में शामिल हैं। सरकारें अक्सर अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए दीर्घकालिक विकास को नजरअंदाज कर देती हैं। कई बार गठबंधन सरकारों के कारण नीतिगत निर्णय लेने में विलंब होता है, जिससे प्रशासनिक ढाँचा कमजोर पड़ जाता है। इसके अलावा, वोट बैंक की राजनीति, जातिवाद और संप्रदायवाद का प्रयोग करके राजनीतिक दल शासन व्यवस्था को अपने हितों के अनुसार संचालित करने का प्रयास करते हैं। चुनावों के दौरान किए गए वादे अक्सर पूरे नहीं किए जाते, जिससे जनता में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है। इस समस्या के कारण सरकारें अस्थिर हो जाती हैं, जिससे न केवल विकास कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि विदेशी निवेश और आर्थिक स्थिरता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

5. केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच असंतुलन :

भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का असंतुलित वितरण भी एक बड़ी समस्या है। संविधान ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन व्यवहार में केंद्र सरकार के पास अत्यधिक अधिकार केंद्रित हैं, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होती है। हालाँकि, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और नगर निकायों को सशक्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी स्थानीय शासन को वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कई राज्यों में स्थानीय सरकारें केवल नाममात्र की रह गई हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। इस असंतुलन के कारण राज्यों और केंद्र के बीच टकराव, प्रशासनिक बाधाएँ और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। यह असमानता भारतीय शासन व्यवस्था की दक्षता को प्रभावित करती है और स्थानीय शासन की क्षमता को कमजोर करती है।

भारतीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव :

भारतीय शासन व्यवस्था एक लोकतांत्रिक, संघीय और संवैधानिक प्रणाली पर आधारित है, जो देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, यह प्रणाली कई चुनौतियों से भी घिरी हुई है, जैसे कि भ्रष्टाचार, न्यायिक देरी, प्रशासनिक अक्षमता, राजनीतिक अस्थिरता और नीति क्रियान्वयन की कमजोरियाँ। इन समस्याओं के कारण शासन तंत्र की प्रभावशीलता प्रभावित होती है, जिससे नागरिकों को सुशासन का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। इस स्थिति को सुधारने और शासन प्रणाली को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों में (1) पारदर्शिता और भ्रष्टाचार उन्मूलन, (2) न्यायिक प्रणाली में सुधार, (3) प्रशासनिक दक्षता और ई–गवर्नेंस को बढ़ावा, (4) राजनीतिक और चुनावी सुधार, तथा (5) विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को मजबूत करना शामिल हैं। यदि इन सुधारों को लागू किया जाए, तो भारतीय शासन व्यवस्था को अधिक सुचारु, न्यायसंगत और प्रभावी बनाया जा सकता है।

1. पारदर्शिता और भ्रष्टाचार उन्मूलन :

भारतीय शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, जो प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित करता है और जनता के बीच अविश्वास को जन्म देता है। इसे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं–

- **डिजिटल गवर्नेंस (E-Governance) का व्यापक उपयोग** – सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जा सकता है।
- **लोकपाल और लोकायुक्त को अधिक शक्तियाँ देना** – भ्रष्टाचार निरोधक संस्थानों को स्वतंत्र और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- **सरकारी टेंडर और नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता** – सभी सरकारी अनुबंधों और टेंडरों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।
- **Whistleblower Protection Act को मजबूत करना** – भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

2. न्यायिक प्रणाली में सुधार

भारतीय न्याय व्यवस्था में मुकदमों के निपटारे में होने वाली अत्यधिक देरी नागरिकों के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं–

- **न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना** – वर्तमान में न्यायाधीशों की भारी कमी है, जिससे मामलों की लंबित संख्या बढ़ रही है।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालतों को बढ़ावा देना** – विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों में न्याय में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
- **डिजिटल न्याय प्रणाली को अपनाना** – मुकदमों की सुनवाई में डिजिटल तकनीकों का अधिकाधिक उपयोग किया जाए, जिससे न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सके।
- **मध्यस्थता (Mediation) को बढ़ावा देना** – छोटे और असंगठित क्षेत्र से जुड़े मामलों को अदालत से बाहर सुलझाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए।

इन सुधारों से न्यायपालिका की दक्षता बढ़ेगी और नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सकेगा।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 2, March- April 2025 |

3. प्रशासनिक दक्षता और ई–गवर्नेंस को बढ़ावा :

सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं–

- **डिजिटल इंडिया अभियान को अधिक प्रभावी बनाना** – सरकारी योजनाओं, सेवाओं और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन किया जाए।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग** – सरकारी नीतियों और निर्णयों में नई तकनीकों को अपनाकर त्वरित और प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं।
- **प्रशासनिक सुधारों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम** – नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों को नवीनतम प्रशासनिक तकनीकों और कानूनों की जानकारी देने हेतु नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।
- **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अनिवार्य किया जाए** – सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

इन सुधारों से प्रशासन अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनेगा, जिससे नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएँ मिल सकेंगी।

4. राजनीतिक और चुनावी सुधार :

भारतीय राजनीति में धनबल, बाहुबल और जातिवादी राजनीति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुँच रही है। इसे सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं–

- **चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता** – राजनीतिक दलों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जगह सार्वजनिक ऑडिटिंग प्रणाली लागू की जाए।
- **दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकना** – जिन नेताओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हों, उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए।
- **राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना** – पार्टियों के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू हो, जिससे वंशवाद और तानाशाही प्रवृत्ति समाप्त हो।
- **राइट टू रिकॉल (Right to Recall) लागू किया जाए** – यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि जनहित में कार्य नहीं करता, तो उसे हटाने की प्रक्रिया नागरिकों के पास होनी चाहिए।

इन सुधारों से भारतीय राजनीति में अधिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिकता आएगी।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 2, March- April 2025 |

5. विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को मजबूत करना :

स्थानीय शासन प्रणाली को अधिक स्वायत्तता और अधिकार देने से प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अधिक प्रभावी हो सकती हैं। इसके लिए निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं–

- **पंचायती राज और नगर निकायों को वित्तीय स्वतंत्रता देना** – वर्तमान में स्थानीय निकायों के पास अपनी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- **ग्राम सभा और वार्ड समितियों की भूमिका को मजबूत करना** – नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देकर स्थानीय शासन को अधिक उत्तरदायी बनाया जाए।
- **स्मार्ट सिटी और ग्रामीण विकास योजनाओं का सही क्रियान्वयन** – शहरी और ग्रामीण प्रशासन को संतुलित करने के लिए प्रभावी योजनाएँ लागू की जाएँ।
- **स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण** – प्रशासनिक दक्षता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

इन सुधारों से स्थानीय शासन प्रणाली मजबूत होगी और जमीनी स्तर पर नागरिकों की समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।

निष्कर्ष :

भारतीय शासन व्यवस्था अपनी लोकतांत्रिक संरचना, संघीय व्यवस्था, नागरिक अधिकारों, स्वतंत्र न्यायपालिका और विकेंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली के कारण विश्व की सबसे सुदृढ़ व्यवस्थाओं में से एक है। यह प्रणाली संविधान द्वारा निर्देशित होती है और निरंतर विकासशील रहती है। बदलते समय के साथ इसमें आवश्यक सुधार किए जाते हैं, जिससे यह अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बन सके। भारतीय शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए भ्रष्टाचार नियंत्रण, न्यायिक सुधार, प्रशासनिक दक्षता, चुनावी सुधार और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारतीय शासन व्यवस्था अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक संरचना के बावजूद कई गंभीर दोषों से ग्रस्त है। भ्रष्टाचार, न्याय में देरी, नीति क्रियान्वयन की अक्षमता, राजनीतिक अस्थिरता और केंद्रीकरण की समस्या जैसी चुनौतियाँ प्रशासनिक तंत्र को कमजोर बनाती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए सुधारवादी नीतियाँ, डिजिटल गवर्नेंस, प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए, तो भारतीय शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और नागरिक हितैषी बन सकती है।

Refrences:

1. Chandra, B. (2017). *India since independence*. Penguin Books.
2. Government of India. (1955). *Report of the States Reorganization Commission*. Ministry of HomeAffairs. https://legislative.gov.in/sites/default/files/Report%20of%20the%20States%20Reorganisation%20Commission%201955.pdf
3. Kumar, A., & Singh, R. (2021). Administrative challenges in newly formed states: A case study of Uttarakhand. *Journal of Indian Law and Society, 12*(2), 112–130. https://doi.org/10.1177/2277432X211012345
4. Sarkaria Commission. (1988). *Report of the Commission on Centre-State Relations*. Government of India Press.
5. Singh, M. P., & Roy, H. (2020). *Federalism in India: Political and administrative challenges*. Oxford University Press.
6. Srinivasulu, K. (2014). Telangana: A quest for regional identity and statehood. *Economic & Political Weekly, 49*(15), 58–65. https://doi.org/10.1007/s12115-014-9805-y
7. Tillin, L. (2013). *Remapping India: New states and their political origins*. Hurst & Company. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198070680.001.0001

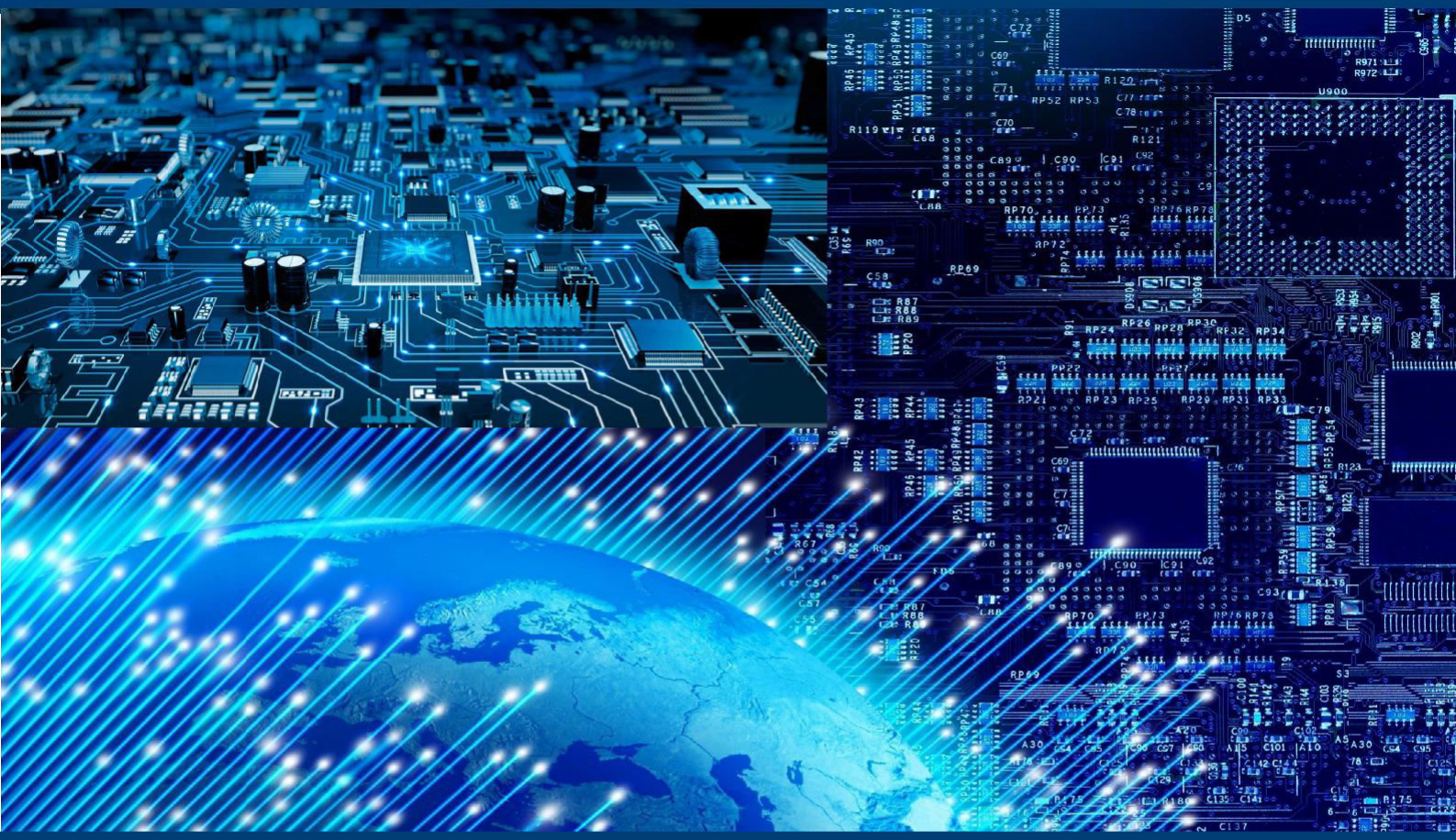

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |